ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00012

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द जाखड, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 05 / 2019

अभय सहारण पुत्र श्री सूरजकरण उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी चक 4 जैड तह0 व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री मनोहरलाल सहारण , अधिवक्ता अपीलार्थी

2श्री गुरजीत सिंह वानर ,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

::आदेश:: **दिनांक :–06.02.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत में पटवारी हल्का के द्वारा एक रिपोर्ट बाबत चक 4 जैड के मु0न0 31 के किला न0 1 में 0.025 हैक्टर गैरमुमकीन रास्ता पर चारा व बाग लगाकर अप्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है और इस रकबा पर अतिक्रमण कर काश्त कर रखी है। इस पर अदालत मातहत के द्वारा प्रकरण दर्ज कर मुझ अपीलांट को दिनांक 18.9.2018 को नोटिस दिया जिस पर अपीलांट के वकील के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व आईंदा जवाब के लिए तारीख पेशी दिनांक 16.10.2018 व 31.10.2018 नियत की गई व दिनांक 02.11.2018 को मुझ अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये जवाब पेश नही करने के आधार पर जवाबदेही बंद न कर पत्रावली में एक तरफा कार्यवाही कर पत्रावली निर्णय के लिए निश्चत कर दी गई तथा दिनांक 28.11.2018 को पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी 14.12.2018 निश्चित की गई और दिनांक 14.12.2018 से पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 01.01.2019 निश्चित की गई और दिनांक 01.01.2019 वास्ते निर्णय दिनांक 07.02.2019 को निर्णय के लिए निश्चित की गई तथा दिनांक 07.02.2019 को अदालत मातहत के द्वारा मुझ अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर अखरे बारह रूपये की शास्ती आरोपित कर तथा खडी फसल कुर्क करने का आदेश कर मौका पर रास्ता चालू करवाने का आदेश दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधारो पर अपील पेश करता है।

1 यह कि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ कानून,इंसाफ,रिकार्ड पर दर्ज तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी शामिल अपील है।

2 यह कि अदालत मातहत ने न्याय के नैसिंग सिद्वांतो की अवेहलना कर जवाबदेही नही पेश करने के कारण जवाब देही बंद न कर एक तरफा कार्यवाही करने में कानूनी भूल की है, कानूनन दिवानी प्रक्रिया संहिता अनुसार 90 दिवस में जवाबदेही प्रस्तुत नही करने पर जवाब बंद किया जा सकता है लेकिन इस आधार पर पत्रावली की आगे की कार्यवाही स्थगित नही की जा सकती। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

3 यह कि अदालत मातहत में मंजूरशुदा रास्ता पर पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज हुआ था चूंकि मंजूर शुदा रास्ता पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अतिक्रमण करने पर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार हासिल है अगर ग्राम पंचायत निर्धारित अवधि 45 दिन में अतिक्रमण नही हटाती तब सम्बधित तहसीलदार को अधिकारिता होती है। इस कारण उक्त प्रकरण श्रीमान् तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र का नही होकर ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का था इस कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज कर अदालत मातहत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम पंचायत को पत्रावली निस्तारण हेतु ना भेजकर आदेश करने में कानूनी गलती की है इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

4 यह कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का द्वारा मु0न0 31 के किला न0 1 में 0.025 हैक्टर रकबा पर वारा की फसल काश्त का हवाला दिया है जबकि कानूनन वारा की काश्त फसल की श्रेणी में नही आती है लेकिन अदालत मातहत के द्वारा वारा काश्त को फसल मानकर तावान कायम करने की कानूनी गलती की है इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है।

5 यह कि किसी व्यक्ति के द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण से परेशानी होती है तो वह काश्तकार उस अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इस रकबा की बाबत चक के किसी काश्तकार के द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई महज पटवारी हल्का के द्वारा व्यक्तिगत कारणो से ये झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट की गई है। अपीलांट के द्वारा किसी भी गैरमुमकिन रकबा कर अतिक्रमण नही कर रखा है। कोई भी काश्तकार इस बाबत सीमा ज्ञान करवा सकता है मुझ अपीलांट के द्वारा अपने खेत में बोई फसल की सुरक्षा आवारा पशुओ से करने के लिए तारबंदी की गई है जो अपीलांट की स्वयं कृषि भूमि पर है। इस कारण अपीलांट किसी भी प्रकार से अतिक्रमणी की श्रेणी में नही आता।

6 यह कि अन्य तथ्य जो अपील में दर्ज करने से रह गये है वरवक्त बहस अपील दर्ज किये जावेंगे।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.02.2019 को निरस्त फरमाया जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत हम अपीलांट के पक्ष में प्रदान की जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसिंग सिद्धांतो की अवेहलना कर जवाबदेही नही पेश करने के कारण जवाब देही बंद न कर एक तरफा कार्यवाही करने में कानूनी भूल की है, कानूनन दिवानी प्रक्रिया संहिता अनुसार 90 दिवस में जवाबदेही प्रस्तुत नही करने पर जवाब बंद किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायलय में मंजूरशुदा रास्ता पर पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त मंजूर शुदा रास्ता पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अतिक्रमण करने पर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार हासिल है अगर ग्राम पंचायत निर्धारित अवधि 45 दिन में अतिक्रमण नही हटाने पर सम्बधित तहसीलदार को अधिकारिता होती है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा मु0न0 31 के किला न0 1 में 0.025 हैक्टर रकबा पर वारा की फसल काश्त का हवाला दिया है। कानूनन वारा की काश्त फसल की श्रेणी में नही आती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

काश्त को फसल मानकर तावान कायम करने की कानूनी गलती की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण से परेशानी साथ विपते काश्तकारों को होती है तो वह काश्तकार उस अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इस रकबा की बाबत चक के किसी काश्तकार के द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई महज पटवारी हल्का के द्वारा व्यक्तिगत कारणो से ये झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट की गई है। अपीलांट के द्वारा किसी भी गैरमुमकिन रकबा कर अतिक्रमण नही कर रखा है। कोई भी काश्तकार इस बाबत सीमा ज्ञान करवा सकता है मुझ अपीलांट के द्वारा अपने खेत में बोई फसल की सुरक्षा आवारा पशुओ से करने के लिए तारबंदी की गई है जो अपीलांट की स्वयं कृषि भूमि पर है। इस कारण अपीलांट किसी भी प्रकार से अतिक्रमणी की श्रेणी में नही आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :-

1. Land Revenue Law in Rajasthab -Page 62

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 4 जैड के मु0नं. 31 का किला नं. 1/0.025 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, उक्त गैर मुमकिन रास्ता पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का वारा व बाग के पौधे लगाकर तारबन्दी की हुई है व रास्ता बन्द किया हुआ है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.2019 द्वारा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखेली कर मौका पर खड़ी फसल है तो कुर्क/निलाम कर गैर मुमकिन रास्ता को मौका पर बालू करवाने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। चक 4 जैड के मु0नं. 31 का किला नं. 1/0.025 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त गैर मुमकिन रास्ता पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का वारा व बाग के पौधे लगाकर तारबन्दी की हुई है व रास्ता बन्द किया हुआ है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की सहायता करते प्रतीत नहीं होते। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.2019 द्वारा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखेली कर मौका पर खड़ी फसल है तो कुर्क/निलाम कर गैर मुमकिन रास्ता को मौका पर बालू करवाने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत् है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर